प्रसव के बाद (पोस्टपार्टम) परिवार नियोजन व पोस्टपार्टम आईयूसीडी

परम्परागत तौर पर प्रसव के बाद (पोस्टपार्टम) का समय शिशु जन्म के बाद, आरम्भ के 6 सप्ताह तक माना जाता है। इस समय तक महिला का शरीर काफी हद तक गर्भ धारण के पहले जैसा ही हो जाता है, परन्तु आवश्यकता है कि 'विस्तृत पोस्टपार्टर्म पीरियड'–प्रसव के बाद से लेकर पहले 12 माह पर ध्यान दिया जाए।

कार्यक्रम के अनुसार यह अच्छा होता है कि इस समय अवधि को भी निम्न भागों में बाँटा जाए, क्योंकि कार्य
एवं समस्याओं का प्रबंधन शिशु जन्म के बाद पहले 6 सप्ताह तक व उसके बाद एक वर्ष तक अलग होते हैं।

1. प्रसव के तुरन्त बाद–प्लेसेन्टा निकलने से लेकर प्रसव के 48 घंटे तक:

प्रसव के तुरन्त बाद का यह समय सबसे अच्छा समय है, जब महिला को केवल व पूर्ण (एक्सक्लूसिव) स्तनपान को गर्भ निरोधक विधि की तरह अपनाने के लिए सलाह दी जाए। महिला को उनकी चाहत के अनुसार आगे बच्चों में अन्तर के लिये या और बच्चे न करने के लिए सलाह–मशवरा तथा उचित परिवार नियोजन विधियों जैसे आईयूसीडी व नसबन्दी के बारे में सलाह–मशवरा व सेवाएँ दी जानी चाहिए।

2. प्रसव के बाद का प्रारम्भिक समय (शुरूआती पोस्टपार्टम)–7 दिनों तक

प्रसव के बाद (पोस्टपार्टम) नसबन्दी इस अवधि में की जा सकती है। केवल व पूर्ण स्तनपान (लैक्टेशनल एमिनोरिया विधि–लैम) के बारे में भी सन्देश पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

3. प्रसव के बाद विस्तृत पोस्टपार्टम समय–6 सप्ताह से 1 वर्ष तक

अस्थायी विधि जैसे आईयूसीडी या अन्य विधियाँ, मैडिकल एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार दी जा सकती हैं। इस अवधि में दूरबीन विधि या मिनी लैप विधि से नसबन्दी भी की जा सकती है।

प्रसव के बाद (पोस्टपार्टम) परिवार नियोजन का औचित्य

- शिशुओं के जन्म में स्वस्थ अन्तर सुनिश्चित करता है

  यदि बच्चा कम अन्तर पर पैदा होता है, तो ये सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं:
  - पूर्ण अवधि से पहले शिशु का जन्म हो जाना
  - गर्भावस्था की आयु की तुलना में शिशु का छोटा होना
  - नवजात शिशु या शिशु की मृत्यु का खतरा

- एक महिला जो बच्चे को जन्म देने के बाद या गर्भपात के बाद बहुत जल्दी गर्भवती होती है, निम्न खतरों का सामना अधिक करती है–
  - एनीमिया
  - गर्भपात
  - झिल्लियों का समय से पहले फटना
  - माता की मृत्य

प्रोत्साहन राशि:

आशा के लिए: 150 रू प्रति लाभार्थी

लाभार्थी के लिए: 300 रू आकस्मिक लागत, यात्रा की लागत एवं दो बार अस्पताल आने पर

सेवा प्रदाता:150 रू प्रति लाभार्थी